राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय,
आई.टी.शाखा, मुख्यालय, परिवहन मार्ग,जयपुर–302001
E-mail-rsrtc.dygmit@gmail.com, Telephone No.-0141-2360254

क्रमांक :– एफ3 / मुख्या. / आई.टी. / 27 / 24 / 791 दिनांक :– 27/09/2024

परिपत्र

निगम द्वारा अपने यात्रियों को बस की लाईव–लोकेशन देने हेतु बसों में वीटीएस उपकरण एवं बसों के अन्दर महिला, बच्चे अथवा वरिष्ठ नागरिकों को आपात स्थिति की जानकारी हेतु पैनिक बटन लगाये जाने का कार्य मै0 टीसीआईएल, नई दिल्ली को 5 वर्ष हेतु कार्यादेश कमांक 433 दिनांक 18.07.2023 द्वारा आवंटित किया गया है।

यात्रियों द्वारा बस के अन्दर प्रेस किये जाने वाले पैनिक बटन के निस्तारण संबंधी प्रक्रिया के प्रथम चरण का कार्य प्रवाह (Work-Flow) निम्नानुसार है:–

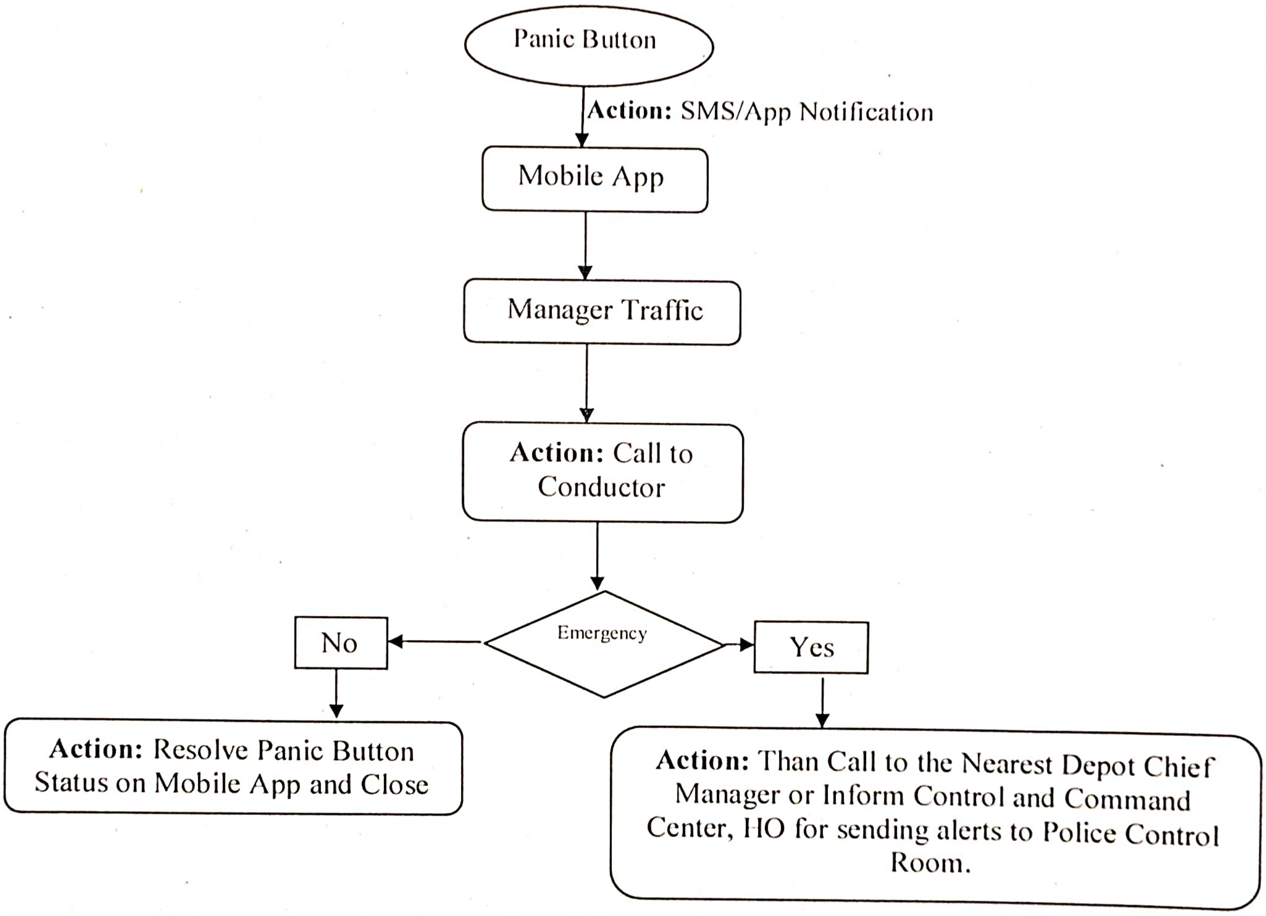

वीटीएस/पैनिक बटन परियोजना के सफलतापूर्वक कियान्वयन हेतु आगार स्तर पर कर्मचारियों/अधिकारियों के कार्य निम्नानुसार निर्धारित किए गए हैं :—

आपात स्थिति

1. बस के अन्दर किसी महिला यात्री से अभद्रता इत्यादि।
2. किसी यात्री (विशेषतः महिला, वरिष्ठजन एवं बच्चे) को आपातकालीन चिकित्सा आवश्यकता होने पर।
3. परिचालक के साथ यात्रियों द्वारा दुर्व्यवहार करने पर।
4. वाहन की दुर्घटना होने पर।

प्रबंधक यातायात —

1. बस के अन्दर प्रेस होने वाले पैनिक बटन (SoS) का नोटिफिकेशन फर्म द्वारा उपलब्ध करवायी गयी मोबाईल एप यथा RSRTC Admin पर प्रदर्शित होगा।
2. प्रबंधक यातायात द्वारा पैनिक बटन (SoS) के प्राप्त नोटिफिकेशन पर क्लिक करने पर वाहन के मार्ग, लोकेशन, बस नं. एवं परिचालक का मोबाईल नं. इत्यादि जानकारी प्राप्त होगी।
3. प्राप्त नोटिफिकेशन के आधार पर प्रबंधक यातायात का यह दायित्व होगा कि सर्वप्रथम SoS वाली वाहन के परिचालक से वार्ता कर वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त करेंगें।
4. वस्तुस्थिति प्राप्त करने के पश्चात यदि बस के अन्दर आपात स्थिति नहीं है तो प्रबंधक यातायात स्वंय के स्तर पर ही SoS बटन का स्टेटस अपना रिमार्क संधारित करते हुए पैनिक बटन का स्टेटस क्लोज करेंगें।
5. यदि बस के अन्दर आपात स्थिति होने पर नोटिफिकेशन में प्राप्त लोकेशन के आधार पर निकटतम आगार के मुख्य प्रबंधक/पुलिस स्टेशन के साथ—साथ सुरक्षा, कन्ट्रोल एन्ड कमांड सेन्टर, मुख्यालय को सूचित करेंगें।
6. सुरक्षा, कन्ट्रोल एन्ड कमांड सेन्टर के कार्मिक का दायित्व होगा कि वह अपने नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से आपात स्थिति की सूचना संबंधित विभागाध्यक्ष को प्रेषित करेंगें।
7. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि बस के अन्दर किसी प्रकार की आपात स्थिति के होने पर स्वंय परिचालक भी पैनिक बटन दबाकर सुरक्षा, कन्ट्रोल एन्ड कमांड सेन्टर को सूचना दे सकते हैं एवं सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
8. उपर्युक्त प्रक्रिया में बस के परिचालक से ही सर्वप्रथम आपात स्थिति होने पर सूचना प्राप्त की जानी है। ऐसी अवस्था मे परिचालक का पूर्ण एवं सही मोबाईल नं. अंकित करने का दायित्व ईटीआईएम ऑपरेटर का होगा। जिसके अभाव में ईटीआईएम ऑपरेटर के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।
9. यदि किसी अवस्था में परिचालक की डयूटी बदली जाती है तो नवीनतम परिचालक की सूचना डिपार्चर टाईम से पूर्व ईटीआईएम ऑपरेटर को देना सुनिश्चित करेंगें।

प्रबंधक संचालन —

1. प्रबंधक यातायात की अनुपस्थिति में प्रबंधक संचालन का पैनिक बटन से संबंधित कार्य बिंदु संख्या 1 से 7 के अनुसार रहेगा।
2. प्रंबधक संचालन का यह दायित्व होगा कि चालक डयूटी चार्ट में किस मार्ग पर किस वाहन को भेजा जाना है, उस वाहन के पूर्ण नं. (उदा0—RJ14PB2440) इन्द्राज करेंगें एवं संबंधित मार्ग पर जाने वाले चालक का पूर्ण नाम अंकित करेंगें।
3. यदि किसी अवस्था में वाहन अथवा चालक की डयूटी में बदलाव किया जाना है तो उसकी सूचना प्रबंधक यातायात को वाहन के प्रस्थान समय से पूर्व देना सुनिश्चित करेंगें।
4. सभी चालकों के एक्टिव मोबाईल नं. ईटीआईएम ऑपरेटर को उपलब्ध करवाये जाने हैं जिससे कि ईटीआईएम ऑपरेटर ईटीआईएम जारी करते समय सही मोबाईल नं. का संधारण कर सके।
5. फर्म द्वारा विकसित मोबाईल एप्लीकेशन एवं वेब पोर्टल पर उपलब्ध सभी रिपोर्ट का विश्लेषण कर सुनिश्चित करेंगें की वाहन की Overspeed, Harsh Breaking, Harsh Turn, Idle Stop Time इत्यादि की मॉनिटरिंग करेंगें एवं संबंधित चालक से इस संबंध में संवाद स्थापित करेंगें एवं डीजल औसत में सुधार के प्रयास करेंगें।

6. प्रबंधक संचालन यह सुनिश्चित करेंगें कि वाहन में स्थापित उपकरण वीटीएस/पैनिक बटन के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की जावे। यह उपकरण चालक की जिम्मेदारी है।
7. प्रबंधक संचालन वाहन को मार्ग पर भेजने से पूर्व वीटीएस सही प्रकार से कार्य कर रहा है अथवा नहीं, की पुष्टि मोबाईल एप्लीकेशन/वेब पोर्टल पर देखकर चालक लोगशीट पर अंकित करेंगें।
8. कार्यशाला से निर्धारित समय से पूर्व वाहन मार्ग के लिए प्रस्थान करे, यह पूर्ण जिम्मेदारी प्रबंधक संचालन की है। अतः सुनिश्चित किया जावे कि सभी वाहनें अपने निर्धारित समय से पूर्व कार्यशाला से निकलें।

मुख्य प्रबंधक –

1. मुख्य प्रबंधक का यह दायित्व होगा कि आगार स्तर पर वाहनों में प्राप्त होने वाले पैनिक बटन के स्टेटस को संबंधित प्रबंधक यातायात/प्रबंधक संचालन से गंभीरतापूर्वक निस्तारित करवायेगें।
2. किसी अन्य आगार के मुख्य प्रबंधक से आपात स्थिति की सूचना मिलने पर तुरंत प्रभाव से प्रभावित बस का निरीक्षण कर अविलंब सहायता एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों का संपादन कर इसकी सूचना सुरक्षा, कन्ट्रोल एन्ड कमांड सेन्टर, मुख्यालय को देंगें।
3. मुख्य प्रबंधक किसी आपात स्थिति में की गयी कार्यवाही को जोनल मैनेजर के माध्यम से संबंधित विभागाध्यक्ष को रिपोर्ट प्रेषित करते हुए प्रकरण का निस्तारण करवाया जाना सुनिश्चित करेंगें।
4. पैनिक बटन से संबंधित प्रकरण में प्रथमतः प्रबंधक यातायात, द्वितीय स्तर पर प्रबंधक संचालन एवं तृतीय स्तर पर मुख्य प्रबंधक की जिम्मेदारी है। सुरक्षा, कन्ट्रोल एन्ड कमांड सेन्टर में इनकमिंग/आउटगोइंग कॉल्स स्वतः ही रिकॉर्ड होंगी एवं जाँच उपरांत संबंधित के विरूद्व कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

ईटीआईएम ऑपरेटर –

1. ईटीआईएम मशीन में चालक/परिचालक का पूर्ण नाम एवं मोबाईल नं. एवं मार्ग सही प्रकार से अंकित करेंगें। परिचालक का नाम एवं मोबाईल नं. गलत होने की स्थिति में संबंधित ईटीआईएम ऑपरेटर के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

द्वितीय चरण – वीटीएस एवं पैनिक बटन के अलर्ट को पुलिस कन्ट्रोल रूम से एकीकरण कर दिया गया है एवं सॉफ्टवेयर में पैनिक बटन के अलर्ट को फिल्टर करने का कार्य प्रक्रियाधीन है साथ ही इमरजेन्सी रिस्पांस सिस्टम नं. – 112 से एपीआई के माध्यम से एकीकरण किया जावेगा। जिससे किसी भी आपात स्थिति में ईआरएसएस टीम/ पुलिस कन्ट्रोल रूम से समन्वय स्थापित कर मौके पर प्रकरण का निस्तारण करवाया जा सकेगा।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

27/9/24
(डॉ. ज्योति चौहान)
कार्यकारी निदेशक (याता0)

क्रमांक :– एफ3/मुख्या./आई.टी./27/24/791
दिनांक :– 27/09/2024

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदया, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक महोदय, रापनि, मुख्यालय जयपुर।
3. कार्यकारी निदेशक (याता0/प्रशा0/विधि/यांत्रिक), राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर।
5. समस्त महाप्रबंधक .... राजस्थान परिवहन निगम ।
6. समस्त उप महाप्रबंधक/निगम सचिव .... राजस्थान परिवहन निगम ।
7. समस्त जोनल/मुख्य प्रबंधक .... राजस्थान परिवहन निगम ।
8. रक्षित पत्रावली।

27/9/24
कार्यकारी निदेशक (याता0)